


बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार से रोकथाम हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के संयुक्तादेश संख्या-34 दिनांक-03.04.2021 के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रणाधीन सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य के सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिये जा रहे प्रशिक्षण कार्य को दिनांक-11.04.2021 तक के लिए स्थगित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।



(पंकज कुमार)

संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग
-सह-मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0 / PMKVY-87 / 2020 - 235

पटना, दिनांक- 06/04/2021

प्रतिलिपि-सभी केन्द्र संचालकों/केन्द्र समन्वयक/प्रशिक्षणार्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.परियोजना निदेशक, एम0के0सी0एल0 / E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.सभी जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5.सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6.सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

7.अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।

8.मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9.माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग
-सह-मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन।